

## हिंदी कार्यशाला का आयोजन- रिपोर्ट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही के दौरान राजभाषा विभाग, भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार बोर्ड मुख्यालय के अधिकारियों एवं कार्मिकों को राजभाषा संबंधी नियमों की जानकारी देने एवं राजभाषा नीति के कार्यावयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों का दूर करने एवं उन्हें राजभाषा हिंदी में कार्य करने संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।

बोर्ड मुख्यालय में जुलाई-सितम्बर 2025 के दौरान दिनांक 23.09.2025 को मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसका विषय था-“भाषा का मानकीकरण और मानक वर्तनी की समस्या एवं समाधान”। इस कार्यशाला का संचालन श्री निशांत गोयल, अवर सचिव, प्रशासन के द्वारा किया गया। इस

कार्यशाला में अतिथि वक्ता के रूप में श्रीमती लेखा सरीन, सहायक निदेशक, (सेवानिवृत), केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में 42 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

कार्यशाला का आरंभ श्रीमती लेखा सरीन, सहायक निदेशक के स्वागत से किया गया एवं उन्होंने कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य कार्मिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाना तथा “क” क्षेत्र में स्थित होने के कारण शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किए जाने के लिए कहा। अपने व्याख्यान को पीपीटी के माध्यम से जारी रखते हुए उन्होंने हिंदी भाषा की जननी संस्कृत की देवनागरी लिपि को बताते हुए देवनागरी का शाब्दिक अर्थ - देवों की भाषा बताया। उन्होंने भाषा की यात्रा के बारे में जानकारी दी और बताया कि छोटे से क्षेत्र में बोले जानी वाली भाषा को “बोली” कहा जाता है जिसका कोई इतिहास व व्याकरण नहीं होता, जैसे जैसे इसके प्रयोग के क्षेत्र में विस्तार होता है उस भाषा में साहित्य का सृजन होने लगता है तब वह बोली ‘भाषा’ का रूप ले लेती है। उन्होंने कहा कि भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, किसी भी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग एवं जब उसमें साहित्य का सृजन आरंभ हो जाता है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि भाषा का व्याकरण एवं नियम बने और भाषा का मानकीकरण किया जाना अनिवार्य होता है। इन नियमों में समय के साथ-साथ होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप भाषा के मानक स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। मुख्य वक्ता ने कार्यशाला में उपस्थित कार्मिकों से आग्रह किया कि वे सभी अपने कार्यालयीन कार्यों में हिंदी भाषा के मानक रूप का ही प्रयोग करें, जिसकी जानकारी आज के व्याख्यान में दी जाएगी।

आमंत्रित वक्ता श्रीमती लेखा सरीन ने अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मानक शब्द का अर्थ है आदर्श। कार्मिकों को संबोधित करते हुए कुछ शब्दों का मानक रूप बताते हुए कहा कि हमें अपने कार्यों में निम्नलिखित शब्दों का मानक रूप ही प्रयोग करना अनिवार्य है -

अशुद्ध	मानक शब्द
कौवा	कौआ
नयी	नई
गयी	गई
अंतर्राष्ट्रीय	अंतरराष्ट्रीय

इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि हमें अपने कामकाज में अंकों का प्रयोग करते हुए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप अथात 1,2,3,4,5..... का ही प्रयोग करना अनिवार्य है तथा इस बात की भी जानकारी दी कि चूंकि पूरे विश्व को अंक पद्धति भारत की ही देन है अतः इन्हें भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप कहा जाता है। मुख्य वक्ता ने अपना व्याख्यान जारी रखते हुए कहा कि तत्सम शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों लिखेंगे एवं तत्भव शब्दों को हिंदी भाषा के रूप के अनुसार लिखा जाएगा।

मुख्य वक्ता ने कार्यशाला में उपस्थित कार्मिकों की समस्याओं का निराकरण भी किया तथा उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि राजभाषा नीति के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना हम सभी का संवेदन्धानिक कर्तव्य भी है। अंत में, श्रीमती पूजा, सहायक सचिव (राजभाषा) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यशाला सम्पन्न हुई।